न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार
जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 140/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 21/2026, आरक्षी केन्द्र सिवाना
CNR : RJBA010005692026

देवाराम पुत्र बाबूलाल, उम्र 26 वर्ष, निवासी धारणा, पुलिस थाना सिवाना, जिला बालोतरा ।

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य ।

– अप्रार्थी

द्वितीय जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 21/2026, पुलिस थाना सिवाना से संबंधित आरोप पत्र संख्या 35 दिनांक 17.03.2026, अपराध अन्तर्गत धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व 67 आई.टी. एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री प्रेमराज पंवार, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. श्री नेमाराम चौधरी, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

–– <u>आदेश</u> ––

दिनांक : 07.04.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह **द्वितीय** जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । नकल लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर पत्रावली तलब की गयी । पत्रावली का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं कि परिवादिया/पीडिता अपने पीहर इन्द्राणा आई हुई थी । दिनांक 17.01.2026 को दिन में 12.00 बजे उसके गिनायत देवाराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी धारणा वाला का फोन आया कि वह तुम्हारे खेत जो ग्राम इन्द्राणा की सरहद में आया हुआ है वहां पर खड़ा है तथा उससे कोई परिवार की बात करनी है, अर्जेन्ट है इसलिये तुम तुम्हारे खेत में आओ । तब वह देवाराम की बात पर विश्वास कर इन्द्राणा की सरहद में आई और खेत में चली गई । वहां गई तो खेत में देवाराम अपनी मोटरसाईकिल लेकर खड़ा था वह दौड़ती भागती गई तो देवाराम ने उसे कहा कि तुम पहले पानी पीलो और अपने पास से बोतल निकाल कर उसे दी तो उसने उसकी बोतल से पानी पी लिया और वह उससे इधर–उधर की बातें करने लगा । इतने में पांच–सात मिनट में ही उसे बेहोशी आने लगी तो देवाराम उसे पकड़ कर खेत में ले गया और वहां पर उसे लेटा दिया । मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसका विरोध करती और देवाराम ने मौके का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया व बलात्कार करते हुए विडियो बनाया । उसने उसका विरोध करना चाहा परन्तु नशीला पदार्थ पिला देने से वह अर्धचेतन अवस्था में उसका विरोध व हाके भी नहीं कर सकी। कुछ समय तक देवाराम उसके साथ बलात्कार करता रहा व बाद में जब उसे होश आने लगा तो देवाराम ने बोला कि उसने तेरे साथ बलात्कार करते हुए के विडियो बना लिये है, यदि तुमने तुम्हारे पति को छोड़कर उसके साथ नाता नहीं किया तो वह उसे जाति समाज में विडियो वायरल कर बदनाम कर देगा, तूं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, जल्दी ही तु उसके साथ नाता कर लेना, दो–तीन दिन का समय दे रहा हूँ । तब दूसरे दिन उसके पास सागर खां निवासी मिठौडा के मोबाईल नंबर 8290517942 से फोन आया व उसने भी उसे धमकाना शुरु कर दिया कि तुझे देवाराम के साथ नाता करना ही पड़ेगा । उसके परिवार वालों ने उसे इंस्टाग्राम व फेसबुक पर वायरल हुए विडियो जानकारी दी तो उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई.....इत्यादि । उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना सिवाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 21/2026 दर्ज की जाकर प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो उपार्पित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है । घटना की तिथि एवं प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी तिथि निम्नानुसार हैः–

घटना की तिथि	**गिरफ्तारी तिथि**
17.01.2026	12.02.2026

3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया था । तत्पश्चात् आरोप पत्र पेश हो चुका है । अनुसंधान से धारा 67 आईटी एक्ट का अपराध साबित नहीं पाया है । प्रार्थी दिनांक 12.02.2026 से अभिरक्षा में है । प्रकरण के विचारण में अभी समय लगने की संभावना है । पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

4. प्रार्थी की ओर से दिए गए तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि प्रार्थी के विरुद्ध गंभीर अपराध का आरोप है । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर अस्वीकार किया गया था । तत्पश्चात् केवलमात्र आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ है एवं आरोप पत्र प्रस्तुत होने से परिस्थितियों में कोई तात्विक परिवर्तन होना नहीं पाया जाता है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त प्रवीण कुमार का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है:–

Sr. No.	FIR No. & P.S.	Case No.	Section	Date	Status	Date of Arrest	Release on any previous occasion (If any)
–	NIL	–	-	-	–	–	–

6. उभय पक्षकारान् की ओर से दिये गये तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी के विरुद्ध पीडिता को आवश्यक कार्य हेतु खेत पर बुलाकर उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है । प्रार्थी की ओर से आरोप पत्र पेश करने से पूर्व जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था, जो जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2026 को गुणावगुण पर खारिज किया गया था । तत्पश्चात् आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद **द्वितीय** जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है । केवल मात्र आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने से प्रकरण की परिस्थितियों में किसी प्रकार की कोई तबदीली होना नहीं पाया जाता है । प्रथम जमानत आवेदन अस्वीकार किए जाने के बाद परिस्थितियों में ऐसा कोई तात्विक परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे प्रार्थी जमानत का हकदार हो ।

7. प्रार्थी के विरुद्ध पीडिता के साथ दुष्कर्म करने के गंभीर अपराध का आरोप है तथा अभी आरोप विरचित किया जाना एवं पीडिता के कथन होना शेष है । अतः इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह **द्वितीय** जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है ।

–:: आदेश ::–

8. अतः प्रार्थी/अभियुक्त देवाराम की ओर से प्रस्तुत **द्वितीय** जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

(एम.आर.सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

9. आदेश आज दिनांक 07.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(एम.आर.सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

I checked all the documents are right.
Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Location: Balotra
Date: 2026.04.08 15:41:51 +0530